फा.सं.14014/1/2018-जीसी (9315)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
...

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011
दिनांक: 20 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: फरवरी, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के मुख्य कार्यकलापों और विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 और 11.10.2018 के कार्यालय-ज्ञापन 1/26/1/2018-कैब का उल्लेख करने और फरवरी, 2019 के लिए भूमि संसाधन विभाग से संबंधित मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(सरोज जैसिया)
निदेशक (समन्वय)
दूरभाष: 011-23062698

सेवा में

1. मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. भास्कर दास गुप्ता, निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करने के लिए।

684/2019/GC & Parliament

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

*****

फरवरी, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के मुख्य कार्यकलापों और विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों का मासिक सार।

1. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, जिसे बाद में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत मिला दिया गया, के तहत 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में 2009-10 से 2014-15 के दौरान 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत माह के दौरान 505 परियोजनाओं के पूरा करने की सूचना प्राप्त हुई है जिससे फरवरी, 2019 तक इनकी संख्या बढ़कर कुल 2268 परियोजनाएं हो गई है।

2. नीरांचल सहित डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत वाटरशेड विकास के लिए फरवरी, 2019 तक राज्यों को 1367.61 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

3. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत इस वित्त वर्ष के दौरान फरवरी, 2019 तक राज्यों को 43.41 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

4. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में डीआईएलआरएमपी और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों की प्रगति और अन्य कार्यान्वयन पहलुओं की समीक्षा करने के लिए 14 और 15 फरवरी, 2019 को जम्मू, जम्मू और कश्मीर में डीआईएलआरएमपी और पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

5. इसी प्रकार, 26.02.2019 को वडोदरा में सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीआईएलआरएमपी के विभिन्न घटकों की समीक्षा की गई।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्देशों के अनुसार, विशेष सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में 'व्यापार करना आसान बनाना' पर एक कार्य बल गठित किया गया है। व्यापार करना आसान बनाना के तहत सुधारों / उपायों पर हितधारकों जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगमों, महाराष्ट्र, शहरी विकास मंत्रालय आदि के साथ नियमित रूप से आगे की कार्रवाई की जा रही है।

7. भूमि संबद्ध मुद्दों पर उप समिति की प्रथम बैठक विशेष सचिव की अध्यक्षता में 05.02.2019 को आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्य मंत्रालयों/विभागों जैसे पंचायती राज, जनजातीय कार्य, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, विधि कार्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों/विभागों तथा राजस्थान, मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश के पंचायती राज विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

8. माह के दौरान 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पहल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकारों/हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।